आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 152/2019-2020

(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

27-01-2021

दाता श्री नन्दलाल सिंह, पिता-रामवृक्ष सिंह, ग्राम-गुलाब सिंह के इंगलिश, थाना-करपी, अंचल-करपी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
158	274	04 डी0	उतर-केशों उपाध्याय दक्षिण-दुर्गा उपाध्याय पूरब-सरस्वती उपाध्याय पश्चिम-दशरथ गोप

मौजा-रेपटी विगहा (भूसड़ा), थाना नं०-17, थाना-अरवल, अंचल-अरवल, जिला-अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी के माध्यम से आम एवं खास नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि-दान की जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी करपी के द्वारा बताया गया की भूदान-यज्ञ दान पत्र इस अंचल से संबंधित नहीं है। यह दान पत्र अंचल अरवल से संबंधित है। अंचल अधिकारी अरवल से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। दाता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और नहीं किसी के द्वारा आपति दर्ज किया गया।

भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ-दान पत्र भूदाता का हस्ताक्षर एवं गवाह गिरजा शंकर मिश्र वैगरह फखरपुर का नाम अंकित है। भूदाता द्वारा दिनांक 12.04.1954 के प्रस्तावित भूमि दान पत्र के माध्यम से दान में दिया गया है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतियान उपलब्ध नहीं है। महेन्द्र दास, सहेन्द्र दास, सुदेश्वर दास, सियाराम दास, सिद्धनाथ राम, वैजनाथ राम, हरीकिशु राम और बखोरा राम का वर्तमान में दखल कब्जा है। अनुसुचित जाति के लोगों का वर्तमान में मकान बना हुआ है, जो करीब 50 वर्ष से है। भूमि रैयति खाते की है जो बेलगान है, जिसके कारण जमावंदी कायम नहीं है। वर्तमान कब्जाधारीयों का कहना है कि उनके बाप-दादा इस भूमि पर मकान बनाकर रह रहे थे। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चूँकि किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं किया है एवं विषयगत भूमि पर पहले से ही अनुसूचित जाति के लोग रह रहे है, ऐसी स्थिति में दान पत्र को संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 27.01.2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(हस्ताक्षर) 27.01.2021

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।